

दिनांक 01.04.2010 को पूर्वान्ह 11:00 बजे मोतीझील परिसर स्थित नगर निगम समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति

श्री रवीन्द्र पाटनी	सभापति / महापौर	श्री मो० वसीक	सदस्य
श्री सत्येन्द्र मिश्रा	सदस्य	श्रीमती विद्या पासी	सदस्य
श्री कमल शुक्ल "बेबी"	सदस्य	<u>अधिकारीगण</u>	
श्री विनोद कुमार मिश्र "ज्ञानू"	सदस्य	श्री उमाकान्त त्रिपाठी	प्रभारी नगर आयुक्त
श्री शरद त्रिवेदी	सदस्य	श्री उदय नारायण तिवारी	अपर नगर आयुक्त
श्री राजेश दुबे	सदस्य	श्री आर० पी० शुक्ल	मुख्य अभियन्ता
श्री इजहारूल असारी	सदस्य	श्री हरीश चन्द्र चौहान	निदेशक सी०सी०
श्रीमती प्रभा यादव	सदस्य	डॉ० डी० बी० मिश्रा	प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी
श्रीमती राबिया बेगम	सदस्य	डॉ० यू० पी० अग्रवाल	नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चिर०)
श्रीमती सुमन गुप्ता	सदस्य	श्री डी० के० भटनागर	सहायक लेखाधिकारी
श्रीमती आशा सिंह	सदस्य	श्री बी० के० शुक्ला	फाइनेंस आफीसर जलकल विभाग

सर्वप्रथम सभापति ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सभी सदस्यों एवं अधिकारियों का परिचय कराया तथा कार्यसूची के बिन्दु-01 के अनुसार उप सभापति हेतु सर्वसम्मति से नाम प्रस्तावित करने के लिये कहा ।

सभापति ने कहा चूंकि पूर्व में ऐसी परम्परा रही है कि सर्वसम्मति से उप सभापति होता आया है । अतः सर्वसम्मति से उप सभापति का नाम प्रस्तावित कर दिया जाये तो अच्छी परम्परा यथावत् कायम रहेगी ।

श्रीमती विद्या पासी ने कहा कि पूर्व में कॉग्रेस एवं सोपा० के उप सभापति हो चुके हैं । अतः इस बार हमारा उप सभापति होना चाहियें ।

इस पर सभापति ने कहा कि बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी के यदि अन्य सदस्य आपके नाम का बहुमत से समर्थन कर देते हैं तो आप उप सभापति हो सकती हैं । इस पर बैठक में श्री मो० वसीक ने कहा कि उप सभापति ब०स०पा० का होना चाहियें, हमने अभी नाम तय नहीं किया है ।

श्री शरद त्रिवेदी एवं विनोद मिश्र “ज्ञानू” ने सभापति से उप सभापति का नाम प्रस्तावित करने हेतु 10 मिनट का समय मौंगा, तदानुसार सभापति ने आपसी सहमति हेतु सदस्यों को 10 मिनट का समय देते हुये बैठक की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिये स्थगित कर दी ।

.....
स्थगन अवधि पश्चात् जब बैठक प्रारम्भ हुई तो बैठक में कार्यकारिणी सदस्य मा० मो० वसीक एवं श्रीमती विद्या पासी उपस्थित नहीं थी, जिस पर श्री शरद त्रिवेदी ने सभापति से कहा कि ब०स०पा० के सदस्य उपस्थित नहीं हैं, उन्हें बुलवा लिया जाये, जिस पर सभापति ने सचिव नगर निगम को ब०स०पा० के सदस्यों को बुलाने को कहा । बुलाये जाने पर श्रीमती विद्या पासी आई और उन्होंने कहा कि मुझे उप सभापति बनाया जाये ।

इस पर सभापति ने कहा कि आपके नाम का कोई प्रस्ताव अथवा समर्थन कर रहा है । इस पर बैठक में उपस्थित अन्य किसी मा० सदस्य ने श्रीमती विद्या पासी के नाम का कोई भी प्रस्ताव अथवा समर्थन नहीं दिया । श्री राजेश दुबे ने श्री शरद त्रिवेदी का नाम उप सभापति हेतु प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन श्रीमती राबिया बेगम, श्रीमती प्रभा यादव, श्रीमती सुमन गुप्ता, श्रीमती आशा सिंह एवं मो० इजहारूल अंसारी ने किया । इस पर सभापति ने बारी-बारी उक्त छः सदस्यों से पुनः उनका नाम लेकर पूछा कि क्या आप शरद त्रिवेदी के नाम का उप सभापति हेतु समर्थन कर रहे हैं, इस पर श्री इजहारूल अंसारी, श्रीमती प्रभा यादव, श्रीमती सुमन गुप्ता, श्रीमती आशा सिंह, श्रीमती राबिया बेगम और श्री राजेश दुबे ने हाथ खड़े करके कहा कि हम श्री शरद त्रिवेदी के नाम का उप सभापति के पद हेतु समर्थन करते हैं ।

सभापति ने श्री शरद त्रिवेदी से पूछा कि कार्यकारिणी के छः सदस्यों द्वारा आपकों उप सभापति बनाने को कहा जा रहा है क्या आप सहमत है, जिस पर श्री शरद त्रिवेदी ने सहमति व्यक्त की। श्री राजेश दुबे ने श्री शरद त्रिवेदी को समर्थन देने वाले छः कार्यकारिणी सदस्यों का हस्ताक्षरयुक्त प्रस्ताव एवं समर्थन पत्र भी सभापति को दिया।

सभापति द्वारा कार्यकारिणी बैठक में उस समय उपस्थित 11 सदस्यों में से 06 सदस्यों द्वारा श्री शरद त्रिवेदी को समर्थन दिये जाने एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री शरद त्रिवेदी द्वारा उप सभापति हेतु स्वयं के नाम पर 06 सदस्यों के समर्थन पर अपनी सहमति व्यक्त किये जाने पर बहुमत के आधार के ऊपर श्री शरद त्रिवेदी को उप सभापति घोषित किया एवं उप सभापति की कुर्सी पर आसीन कराया।

.....

स्थगन अवधि पश्चात् 01:45 बजे बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

सभापति ने उपस्थित प्रभारी नगर आयुक्त एवं मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया कि पार्षद निधि, महापौर निधि के वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के अवशेष कार्यों को अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करके अतिशीघ्र प्रारम्भ कराया जाये और यह भी कहा कि इसी माह बुलाये जाने वाले सदन में इसकी चर्चा भी कराई जायेगी ताकि सभी वार्डों का समग्र विकास हो सके साथ ही कार्यसूची के अन्य बिन्दु हैण्डपम्प एवं पार्कों के विषय पर नगर आयुक्त की उपस्थिति में कोई तिथि निर्धारित कर चर्चा कराई जायेगी और नाला सफाई के कार्यों की शीघ्र कार्य योजना तैयार कर उस पर कार्य प्रारम्भ करने को कहा।

सभापति ने ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु अपर नगर आयुक्त (प्रथम) को निर्देशित किया कि वह मुख्य नगर लेखा परीक्षक के साथ बैठ कर एक सप्ताह के अन्दर ऑडिट आपत्तियों निस्तारित करायें जिसमें जो भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जाये उस पर कार्यवाही की जाये साथ ही मेरी अध्यक्षता में इसकी समीक्षा बैठक अन्य किसी दिन की जायेगी।

सभापति ने पुनरीक्षित बजट वर्ष 2009–10 एवं मूल बजट वर्ष 2010–11 को कार्यकारिणी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सहायक लेखाधिकारी को निर्देशित किया ।

सहायक लेखाधिकारी द्वारा समिति के सभी सदस्यों को बजट की प्रतियो उपलब्ध कराई गई ।

श्री पर श्री कमल शुक्ल “बेबी”, श्री राजेश दुबे, श्रीमती प्रभा यादव, श्री विनोद मिश्र “ज्ञानू”, श्रीमती आशा सिंह, श्री इजहारुल अंसारी एवं अन्य सदस्यों ने कहा कि बजट पर चर्चा कराया जाना तभी उचित रहेगा जब बैठक में नगर आयुक्त एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी उपस्थित हो ।

इस पर सभापति ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तुत बजट पर चर्चा नगर आयुक्त एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की उपस्थिति में अगली बैठक में की जायेगी ।

सभापति ने सभी सदस्यों से आज की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये कहा, जिस पर सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की ।

अन्त में सभापति ने सभी सदस्यों को धन्यवाद् देते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की ।

(रवीन्द्र पाटनी)
सभापति / महापौर